भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-97
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

ऑरोविले फाउंडेशन

†*97. **डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑरोविले प्रशासन द्वारा की गई भूमि विनिमय गतिविधियों के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऑरोविले फाउंडेशन कार्यालय (एवीएफओ) के सचिव का पद खाली है और यदि हां, तो क्या सरकार ऑरोविले फाउंडेशन कार्यालय के सचिव की नियुक्ति के लिए अपनाए गए मानदंडों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा प्रदान करती है;
(ग) क्या सरकार के पास निवासियों की वीज़ा संबंधी समस्याओं के समाधान में ऑरोविले प्रशासन में पारदर्शिता की कमी को दूर करने की कोई योजना है;
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ऑरोविले फाउंडेशन कार्यालय द्वारा भविष्य में सभी भूमि विनिमय निवासियों की समिति से आवश्यक अनुमोदन लेकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाएं; और
(ङ) क्या सरकार की ऑरोविले फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य के रूप में स्थानीय संसद सदस्य को नामित करने की कोई योजना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा 'ऑरोविले फाउंडेशन' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): ऑरोविले फाउंडेशन एक सांविधिक निकाय है, जिसे ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के अनुसार दिनांक 29 जनवरी, 1991 को अधिसूचित किया गया था। ऑरोविले यूनिवर्सल टाउनशिप विकसित करने के उद्देश्य से, रेजिडेंट असेंबली द्वारा एक मास्टर प्लान विकसित किया गया था, जिसे शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और तत्पश्चात शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया।

इस मास्टर प्लान का एक मुख्य उद्देश्य ऑरोविले फाउंडेशन के बहुआयामी विकास के लिए भूमि सुरक्षित करना है। भूमि समेकन के लिए शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुदृढ़ आवश्यकता-आधारित प्रक्रिया का ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा पालन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने भूमि लेन-देन संबंधी पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शासी बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाली एक चेकलिस्ट/सिद्धांतों का भी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, ऑरोविले फाउंडेशन खरीद/विनिमय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए एक परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें कार्य समिति सहित विभिन्न हितधारकों से उचित परामर्श किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए 2011 में भर्ती नियम अधिसूचित किए हैं। नियमों के अनुसार, सचिव की भर्ती प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, अनुबंध के आधार पर और विदेश सेवा (विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत व्यक्तियों के लिए) के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, सचिव का चयन खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर आधारित होता है। सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन की नियुक्ति उचित प्रक्रिया अपनाकर की जाती है और तदनुसार वर्तमान पदधारी को 1 जून 2021 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने 4 जुलाई 2024 को कार्यकाल संबंधी आदेश जारी किए हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों का पूर्ण सत्यापन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा अपनाई गई वीज़ा प्रक्रिया में कई चरण शामिल किए गए हैं, जिनमें वीज़ा आवेदन प्रस्तुत करना; कार्य समिति द्वारा प्रारंभिक समीक्षा; ऑरोविले फाउंडेशन की वेबसाइट पर विवरण अपलोड करना; नामित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन; अंतिम अनुमोदन और अनुशंसा पत्र; और आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को प्रस्तुत करना शामिल हैं। यह प्रक्रिया वीज़ा संबंधी मामलों हेतु एक पारदर्शी और सुदृढ़ प्रणाली सुनिश्चित करती है जिसमें बहुविध जांच और संतुलन शामिल होता है।

ऑरोविले फाउंडेशन में तीन प्राधिकरण नामत: (क) शासी बोर्ड; (ख) रेजिडेंट असेंबली; और (ग) अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद शामिल हैं। इन प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। उक्त अधिनियम के अनुसार ऑरोविले फाउंडेशन में "कार्यकारी परिषद" का कोई प्रावधान नहीं है।

*****